DISTRICT HEALTH SOCIETY, Sitamarhi
जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी
कुमार चौक, मर्यादा पथ, प्रधान डाकघर के बगल में – 843301 (डुमरा)
Ph.No.: 06226-253008, Fax- 06226-253007

बिहार सरकार

NATIONAL HEALTH MISSION

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक : 833 (DHS)
दिनांक : 12/09/18

जिला स्वास्थ्य समिति सीतामढ़ी द्वारा संविदा आधारित विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन सं0 01/2018 एवं विज्ञापन सं0 02/2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसका आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 02.07.2018 निर्धारित की गई थी।

उक्त के आलोक में विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन में निर्धारित मानकों के आलोक में Shortlist & Not Shortlisted अभ्यर्थीयों की सूची सीतामढ़ी जिला के Officeal website **www.sitamarhi.nic.in** पर पूर्व में प्रकाशित करते हुये दावा/आपत्ति दर्ज करने हेतु दिनांक 28.08.2018 तक का समय निर्धारित किया गया था जिसके आलोक में प्राप्त कुल 65 दावा आपत्ति का निष्पादन कर पुनः website पर प्रकाशित की जा रही है। साथ ही दिनांक 12.09.2018 को आयोजित चयन समिति की बैठक में वरीय यक्ष्मा प्रयोगशाला पर्यवेक्षक (STLS) एवं वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक (STS) के पद हेतु तैयार मेधा सूची website पर प्रकाशित की जा रही है।

वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक (STS) के पद हेतु योग्य कुल 84 आवेदकों में से विभिन्न कोटिवार वरियता के आधार पर कुल 36 आवेदकों को दिनांक 24.09.2018 को पूर्वाह्न 11 बजे निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति सीतामढ़ी की अध्यक्षता एवं कार्यालय कक्ष (समाहरणालय, सीतामढ़ी) में आयोजित Counselling में भाग लेने हेतु पत्र निर्गत किया जा रहा है।

1. दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।
2. शैक्षणिक एवं तकनिकी योग्यता से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र।
3. सभी प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. ड्राईविंग लाइसेन्स।
5. कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र कि मेरे द्वारा जमा किये गये सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है गलत पाये जाने पर मै दण्ड का भागी बनूँगा तथा मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा भारत के किसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और मै सजायाफ्ता नहीं हुआ हूँ।
6. आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीयों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रिमीलेयर रहित प्रमाण (जिस पर लागू हो) देना अनिवार्य है।

Counselling में विलम्ब से पहुँचने अथवा अनुपस्थित रहने पर भविष्य में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगें।

12-9-18

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, सीतामढ़ी

12/9/18